भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 974

08 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"पीडब्ल्यूडी को जीएसटी रियायत"

974. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में अस्थि विकलांग व्यक्तियों को जारी किए गए कुल जीएसटी रियायत प्रमाण-पत्र और उनको दी जा रही जीएसटी राशि में छूट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू है या लाभार्थी के लिए कुछ आय संबंधी मानदंड हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (घ): कुल प्रदत्त जीएसटी प्रमाणपत्र का विवरण इस मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल dhigecs.heavyindustry.gov.in पर अद्यतन स्थिति के अनुसार उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय की दर दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना संख्या 14/2019-एकीकृत कर और दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र के माध्यम से जीएसटी पर 10% की रियायत प्राप्त की जा सकती है और उन्हें कोई उपकर नहीं देना होगा। इस प्रमाणपत्र का लाभ लेने वाले व्यक्ति को कार की खरीद पर 28% जीएसटी और लागू उपकर के स्थान पर 18% जीएसटी तथा और शून्य उपकर देना होता है।

यह रियायत उन सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी अस्थिजनित विकलांगता 40% और उससे अधिक है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

*****